FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं 2 किशनगढ़ जिला अजमेर**

पंजाब नेशनल बैंक बनाम **घेवर चन्द बडौला**

दीवानी वाद सं. 71/2021, 47/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.02.2024	वकुलाय उपस्थित। इस आदेश के द्वारा अधिवक्ता अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का निस्तारण किया जा रहा है। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस कथन किया है कि हस्तगत मामलें में वादी बैंक की तरफ से दिनांक 24.09.2021 को प्रतिवादी घेवर चन्द की मृत्यु होने बाबत व किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी होने से आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें कुलदीप बडौला को भी बतौर प्रतिवादी प्रतिस्थापित किये जाने का आदेश भी दिया गया परन्तु कुलदीप बडौला का अवासीय पता नहीं होने के कारण अधिवक्ता प्रतिवादी को कुलदीप बडौला का पता प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया तथा यह भी तर्क दिया कि घेवर चन्द प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता लगातार उपस्थित आ रहे है, परन्तु उनके द्वारा प्रतिवादी की मृत्यु होने बाबत कोई सूचना न्यायालय में नहीं दी गई और ना ही आज दिनांक तक घेवर चन्द की मृत्यु होने बाबत कोई मृत्यु प्रमाण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए है। जबकि आदेश 22 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत मृतक घेवर चन्द के अभिभाषक का दायित्व था कि वह घेवर चन्द की मृत्यु की सूचना न्यायालय में प्रस्तुत करते तथा यह भी तर्क दिया कि जवाबदावा में घेवर चन्द के वारिसान का नाम अंकित किये जाने से प्रतिवादी के अभिभाषक का उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाता हैं। क्योंकि घेवर चन्द के विधिक वारिस कुलदीप बडौला का कोई पता वकील वादी ने पेश नहीं किया था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 घेवर चन्द के अभिभाषक द्वारा जानबूझकर प्रकरण के निस्तारण में देरी करने के आशय से और सत्य छिपाने के आशय से प्रतिवादी घेवर चन्द की मृत्यु की सूचना न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की तथा आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रकिया संहिता की मियाद 90 दिवस की किस दिनांक से प्रारम्भ होगी यह भी तय नहीं किया जा सकता। ऐसी सिंिति में किसी तरह की कोई तकनीकी कमी नहीं रहे इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके खण्डन में अधिवक्ता प्रतिवादी का यह कथन है कि अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता को विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया और स्वयं अपनी लापरवाही का लाभ उठाना चाहते है जबकि अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेखित किया है कि उन्हें प्रतिवापदी घेवर चन्द बडौला की मृत्यु की जानकारी हो गई थी एवं इसी कारण अधिवक्ता वादी	

ने प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता वादी को प्रतिवादी की मृत्यु होने की जानकारी देना आवश्यक नहीं था। यह भी कथन किया है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के जवाब दावा में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा मृतक घेवर चन्द के तीन पुत्र व पत्नी होना अंकित किया है इसके बावजूद अधिवक्ता वादी द्वारा केवल मात्र प्रतिवादी की पत्नी व दो पुत्रों को ही विधिक वारिसान मानते हुए पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि प्रतिवादी के तीन पुत्र होना वादी के ज्ञान में प्रारम्भ से ही है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हस्तगत मामले में अधिवक्ता वादी द्वारा मृतक घेवर चन्द की मृत्यु चैन्नई में होना बताया है। उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रकिया संहिता दिनांक 24.09.2021 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में घेवर चन्द बडौला की मृत्यु कब हुई इस बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया एवं मृतक घेवर चन्द की पत्नी मन्जू एवं पुत्र संदीप व प्रदीप को विधिक वारिसान के बतौर पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता वादी द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि उक्त के अलावा स्वर्गीय घेवर चन्द बडौला के अन्य वारिसान के नाम यदि प्रकट किए जाते है तो उनको भी वाद वारिसान के रूप में संयोजित किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है। अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 24.09.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ आदेश 5 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया, परन्तु प्रार्थना पत्र में घेवर चन्द बडौला की मृत्यु होने की दिनांक के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है और ना ही अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा इस बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि घेवर चन्द बडौला की मृत्यु के 90 दिवस के अवसान के पश्चात यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। बल्कि पत्रावली पर घेवर चन्द बडौला की मृत्यु किस दिनांक को हुयी उस बाबत भी कोई तथ्य नहीं है और ना ही घेवर चन्द बडौला का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र वारिसान द्वारा अथवा अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता वादी को प्रतिवादी की मृत्यु होने का ज्ञान होने के पश्चात 90 दिवस के भीतर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना था तथा अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया है कि किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी होने के पश्चात उनके द्वारा आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जहां तक प्रतिवादी द्वारा विधिक वारिस कुलदीप बडौला को रिकॉर्ड पर लिये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में न्यायालय का यह मत है कि जवाबदावा में मृतक घेवर चन्द बडौला के तीन पुत्र होने का उल्लेख है परन्तु आदेश 22 नियम 10 सिविल प्रक्रिया के तहत प्रतिवादी की मृत्यु की जानकारी देने का दायित्व अधिवक्ता प्रतिवादी पर था परन्तु अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा कोई सूचना विपरीत पक्षकार को अथवा न्यायालय को प्रतिवादी की मृत्यु बाबत नहीं दी गई। प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान की पत्नी मन्जू व पुत्र संदीप व प्रदीप के द्वारा उपस्थिति दी जा चुकी है एवं विधिक

	वारिसान कुलदीप बडौला को भी प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बताए गए पते पर नोटिस भेजे गए परन्तु वह उपस्थित नहीं आया। ऐसी स्थिति में जहां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई न्यायिक दृष्टांत इस बाबत निर्णय पारित किया गया है कि यदि पक्षकार के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुयी देरी का कोई विद्वेषपूर्ण आशय नहीं है तो ऐसी परिस्थितियों में वाद को तकनीकी आधारों पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिए। हस्तगत मामलें में वादी बैंक है तथा प्रतिवादी के विधिक वारिसान का सम्पूर्ण नाम व पता पत्रावली पर नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को विधिसम्मत आधार मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अधिवक्ता वादी द्वारा संशोधित उनवान पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान संदीप, प्रदीप व कुलदीप बडौला के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया जा चुका है। अतः पत्रावली वास्ते कायमें तनकियात हेतु दिनांक 26.02.2024 को पेश हो।	